न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 29 / 2018

कमलेश सैनी एडवोकेट निवासी बडवाली हवेली सुभाष बाजार टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी टोंक
–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11.06.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2018 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–टोंक जिले मे कुल कितने मदरसे संचालित है। प्रत्येक मदरसे की छात्रो की सूचि एंव अध्यापको की सूचि का विवरण।

2–सत्र 2016--2017 मे कुल कितना बजट आया। बजट को किस–किस योजना मे क्या व्यय किया गया। योजना के अनुसार व्यय का विवरण।

3–सत्र 2016–2017 मे कुल कितने लोगो को लोन दिया गया उनके नामो की सूची एंव उनके द्वारा किये गये आवेदन मय संलग्न दस्तावेज एंव लोन देने की सम्पूर्ण कार्यालय की कार्यवाही की आदेशिका।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी टोंक को पत्र क्रमांक 868 दिनांक 30.05.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी टोंक ने पत्र क्रमांक 406 दिनांक 08.06.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 214 दिनांक 19.04.2018 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना डाक द्वारा भिजवा दी गई है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक